क्रम-संख्या--9

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 जनवरी, 2000

पौष 20, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 87/सत्रह-वि-1-1(क) 33/1999

लखनऊ, 10 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 9 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 14 अगस्त, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, खण्ड (3) में, उपखण्ड (ख) में, तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान" निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1999, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 87 (2)/XVII-V-1—1(KA) 33-1999

Dated Lucknow, January 10, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 9, 2000.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2000

[U. P. ACT NO. 1 OF 2000]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 14, 1999.

Amendment of section 17 of U. P Act no. 25 of 1964

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*iii*), in sub-clause (*b*), in the third proviso the words and figure "during the period of one year with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998" shall be *omitted*.

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 1999, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1999 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Tritiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

सं0यू0पी0-ए0पी0

बी0 एस0 यू0पी0--ए0पी0 941 राजपत्र (हि0)-(1800)--2000--597 (मेक0)।